

**jkgr vk; Ør dk; kÿ;  
I ã; k& 1738 @j10v10d10@2017&18  
y[kuÅ%fnuK& 07 fnl Ecj] 2017**

**fu"iz; kÿ; okgu dsuhyleh l eãh fokflr**

jkgr vk; Ør l xBu dsfu"iz; kÿ; ?kks"kr okgu] Vojk l Ø& ; Øih0 32 ch0th0  
1435 rFkk bf.Mxks l Ø& ; Øih0 32 ch0th0 3630 dÿ 02 fu"iz; kÿ; okguka dh uhykeh  
fnuK& 19 fnl Ecj] 2017 dks i nklg 11%0 cts LFkkj jkgr vk; Ør dk; kÿ; ] NBk ry]  
cki wHkou ea gksuk fuf'pr fd; k x; k g& mDr fu"iz; kÿ; okguka dk fujh{k.k 18 fnl Ecj]  
2017 dks dk; kÿ; kof/k ea fd; k tk l drk g& ifrHkkx djus gsrq uhykeh LFky ij #0  
20000-00 %0 chl g tkj ek=½ vuLV euh ds #i ea nksuks okguka ds fy, vyx&vyx  
/kujkf'k tek djuh gkskhA uhykeh ea mPpre ckyhnrk }kjk yxkbz xbz ckyh dh 50  
ifr'kr /kujkf'k rRdky tek djuk gksk , oarhu dk; Zfnol ka ds vUnj vo'kSk /kujkf'k  
l Hkh djka l fgr tek djuk gkskA fofgr vof/k ea /kujkf'k tek u fd, tkus ij ckyh  
ds le; tek dh xbz /kujkf'k tCr dj yh tk, xhA okguka dh uhykeh dh l puk , o  
'krka dks jkgr dh osl kbV [www.rahat.up.nic.in](http://www.rahat.up.nic.in) l s Hkh ikr fd; k tk l drk  
g&

v/; {k uhykeh l fefr@  
fo'kSk l fpo] jktLo

jkg r vk; r dk; k; y;  
I f; k; 1737 @jkgvkdkg@2017&18  
y[kuÅ%fnukd&07 fnl Ecj] 2017

## नीलामी सूचना

**fo'k; %** okguka dh uhykeh  
**frfFk %** 19-12-2017  
**le; %** ikr%11%00 cts  
**LFku %** jkg r vk; r dk; k; y; ] NBk ry] cki wHkou] y[kuÅÅ

I o7 k/kkj .k dks I fpr fd; k tkrk gSfd bl dk; k; y; ds निम्नलिखित **02** okguka  
1- Vojk I @& ; diho 32 ch0th0 1435  
2- bf.Mxls I @& ; diho 32 ch0th0 3630 **की नीलामी की जानी है&**

उपरोक्त वाहनों dh नीलामी दिनांक 19-12-2017 को प्रातः 11-00 बजे jkg r vk; r dk; k; y; ] NBk ry] cki wHkou परिसर में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर uhykeh तिथि से एक दिन पूर्व वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं। नीलामी की शर्तें dk; k; y; के नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय 10-00 से 03-00 बजे तक देखी जा सकती हैं तथा dk; k; y; के दूरभाष संख्या 2237515 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उक्त नोटिस dk; k; y; की वेबसाईट [www.rahat.up.nic.in](http://www.rahat.up.nic.in) पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

fo'k; k; I fpo] jktLo @v/; {k  
uhykeh I fefr

***jkgr vk; }r dk; k; ;] m0i0  
NBk ry] ckiwHkou] y[kuAA***

***l f; k %  
fo'k; %  
frfk %  
LFku %  
विवरण %***

2 okgu  
okguks dh uhykeh  
19-12-2017  
jkgr vk; }r dk; k; ;] NBk ry] ckiwHkou] y[kuAA  
1- Vojk l 0& ; 0i h0 32 ch0th0 1435  
2- bf.Mxks l 0& ; 0i h0 32 ch0th0 3630

***uhykeh dh 'r3***

- नीलामी l fefr को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर nxhA अन्तिम : i l suhykeh dh स्वीकृति ; k vLohdfr सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान dh tk; xhA
- वाहनों पर बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व अभिम nkuks okguks ds fy, vyx&vyx धनराशि रु० 20000-00 vuL V euh ds #i e8नकद जमा करना होगा जो नीलामी समाप्त होने पर नियमानुसार तुरन्त वापस कर दिया जायेगा।
- नीलामी होने वाले वाहन को नीलामी से एक कार्य दिवस पूर्व दिनांक 18-12-2017 को एक नम्बर गेट से नियमानुसार पास@अनुमति प्राप्त dj ckiwHkou ifj l j e8देखा जा सकता है बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
- जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 50 % राशि तुरन्त जमा करनी होगी यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 50 % धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत की अभिम धनराशि ज्वत कर ली जायेगी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले को शेष धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि ज्वत कर ली जायेगी व वाहन की पुनः नीलामी की जायेगी।
- वाहन की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है तब तक वाहन सरकारी गैराज में रहेगा। क्रेता अपने संतोष के लिये उसकी देख रेख कर सकता है। बाद में वाहनों के बारे में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- वाहन जहां है जैसा है की स्थिति में नीलाम होगा।
- नीलाम की गयी वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जबकि उसने वाहन का पूरा भुगतान l elr dj l fgr कर दिया हो और विभाग से वाहन ले जाने की अनुमति ले ली हो।
- जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वाहन का पूरा मूल्य जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
- उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह वाहन को नियमानुसार अपने नाम हस्तांतरित कराने के बाद ही चलाने में प्रयोग करेगा तथा dk; k; के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना स्ट्रेप के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो इसकी भी सूचना नियमानुसार सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रदान करेगा।
- उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति नीलाम वाहन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- उपरोक्त नीलामी शर्तों के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो v/; {k uhykeh l fefr द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
- नियमानुसार अन्य कर नीलामी जिसके पक्ष में हुयी है, के द्वारा देय होगा।
- वाहन का न्यूनतम निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।

fo'k; k l fpo] jktLo@v/; {k  
uhykeh l fefr